यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, लोहाघाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, लोहाघाट के माह 08/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21/06/2018 से 25/06/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी॰सी॰ श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस॰के॰ डंग सुपरवाईजर,द्वारा दिनांक 08-08-2012 से 13-08-2012 तक श्री एस॰के॰ त्यागी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें 2009-2010 से 07/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः छात्र / छात्राओ को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिला मुख्यालय चम्पावत की दूरी 12 कि॰मी॰ एवं लोहाघाट से संस्था की दूरी बाराकोट मार्ग पर 4.5 कि॰मी॰ है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(रु लाख मे)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
		प्रा.शे.	आवंटन	व्यय	प्रा.शे.	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	176.23	176.18	-	62.27	62.11	0	0.21
2	2016-17	-	180.52	180.52	-	31.67	31.67	0	0
3	2017-18	-	184.77	184.64	-	31.94	31.38	0	0.69
4	2018-19 (05/2018 तक)	0	225.00	80.38	-	25.30	4.90	0	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (CDTP) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**			
	प्रा. शेष	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16(R)	843122	800000	1643122	702810	940312
2015-16(NR)	498420	0	498420	107932	390488
2016-17(R)	940312	700000	1640312	783224	857088
2016-17(NR)	390488	0	390488	53260	337228
2017-18 (R)	857088+3700 = 860788	0	860788	856521	4267
2017-18(NR)	337228	0	337228	6800	330428
2018-19 (05/2018तक)(R)	4267	700000	704267	176538	527729
2018-19 (05/2018तक)(NR)	330428	0	330428	0	330428

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
निदेशक
↓
प्रधानाचार्य
↓
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
↓
प्रशासनिक अधिकारी
↓
प्रधान सहायक
↓
वरिष्ठ सहायक
↓
कनिष्ठ सहायक

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में राजकीय पॉलीटैक्नीक,लोहाघाट की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय पॉलीटैक्नीक,लोहाघाट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2015,02/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1:- धनराशि ₹ 1.00 करोड़ व्यय करने के उपरान्त महिला छात्रावास का निर्माण कार्य वर्ष 2012 से बंद पड़े रहना।

राजकीय पोलिटेक्निक लोहाघाट जनपद चम्पावत के लेखा अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि वर्ष 2007-08 मे राज्य सैक्टर योजना के अंतर्गत 60 बेड कि क्षमता का महिला छात्रावास के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1075/xxiv/(8)07-67 दिनांक 14-01-2008 के तहत धनराशि ₹ 336.83 लाख के सापेक्ष ₹ 1.00 करोड़ उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को प्रदान कि गयी थी। उक्त निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय से आरंभ नहीं किया गया। निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 मे आरंभ किया गया तथा अवशेष निर्माण कार्य के लिये कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि ₹ 152.58 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्यालय की पत्रांक स॰ 122/प्रा॰/05 दिनांक 10.02.2012 के द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पोलीटेक्निक लोहाघाट को प्रेषित किया गया।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की मिट्टी की जांच एवं विधुत लाइन सिफ्ट मे समय लगने के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका जो वर्ष 2012 से बंद पड़ा है,जिसके लिये निदेशालय से पत्राचार किया गया है तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन संस्थान को प्रेषित किया जिसे प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत निदेशालय को प्रेषित किया।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि का बिना परीक्षण किये कार्यदायी संस्था को धनराशि ₹ 1.00 करोड़ अवमुक्त कर दी गई।निर्माण कार्य समय से आरंभ नहीं किया जा सका जिस कारण लागत मे भी वृद्धि हुई तथा निर्माण कार्य वर्ष 2012 से वर्तमान तक बंद पड़ा था।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:-2- रोकड़ वही की विस्तरत जांच हेतु चयनित माहों का DDO reconciliation स्टेटमेंट(बीएम-05) से मिलान के दौरान र 1.42 करोड़ के vouchers की प्रविस्टी शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ वही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 , भाग-02 के परिशिष्ट 27 ए के अनुसार फॉर्म न0-02 मे वही लिखी जाएगी जिसमे प्राप्ति पक्ष मे समस्त नगद प्राप्तियों को प्राप्ति रशीद से मिलान करके आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । रोकड़ वही का मिलान के समय सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया कि निम्न लिखित वाउचर का इंदराज रोकड़ वही मे संस्था द्वारा अंकित नहीं किया गया था, एवं न ही उक्त vouchers को सम्प्रेक्षा के अवलोकनार्थ/जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था । जिनका विवरण निमन्वत हैं ।

क्रमसंख्या	कोषागार वाउचर/दिनाक	धनराशि(₹)
01	01/12/03/15	8060.00
02	02/12/03/15	8960.00
03	03/12/03/15	15500.00
04	04/12/03/15	54000.00
05	08/17/03/15	15060.00
06	10/18/03/15	24960.00
07	11/23/03/15	4954.00
08	12/23/03/15	3630.00
09	13/23/03/15	3870.00
10	14/23/03/15	239.00
11	15/23/03/15	1506.00
12	16/23/03/15	5151.00
13	17/23/03/15	1483.00
14	18/23/03/15	1671.00
15	19/23/03/15	701.00
16	20/23/03/15	233.00
17	02/24/03/15	490157.00
18	03/24/03/15	74913.00
19	04/24/03/15	116575.00
20	05/24/03/15	64243.00
21	21/24/03/15	19600.00
22	15/24/03/15	59708.00
23	22/24/03/15	46000.00
24	23/26/03/15	38900.00
25	24/26/03/15	660.00
26	25/26/03/15	881.00
27	26/26/03/15	10500.00
28	27/26/03/15	19300.00
29	28/26/03/15	15500.00
30	29/26/03/15	15500.00
31	30/26/03/15	14750.00
32	31/26/03/15	3000.00
33	32/26/03/15	150000.00
34	33/26/03/15	15000.00
35	34/26/03/15	56400.00
36	35/27/03/15	499998.00
37	36/27/03/15	149960.00
38	09/09/02/16	1176676.00
39	43/16/02/16	89931.00
40	45/17/02/16	21075.00
41	46/17/02/16	1690.00

42	47/17/02/16	7425.00
43	48/17/02/16	14280.00
44	49/17/02/16	64800.00
45	50/17/02/16	283658.00
46	51/17/02/16	10268.00
47	5217/02/16	8585.00
48	53/17/02/16	227000.00
49	54/17/02/16	7724.00
50	55/17/02/16	11150.00
51	56/17/02/16	21700.00
52	57/17/02/16	21700.00
53	58/17/02/16	21600.00
54	10/18/02/16	231247.00
55	67/18/02/16	52900.00
56	72/19/02/16	2472831.00
57	14/27/02/16	1154035.00
58	80/27/02/16	470000.00
59	81/27/02/16	454000.00
60	82/27/02/16	1500000.00
61	01/02/03/17	1368924.00
62	01/07/03/17	1365.00
63	02/07/03/17	3146.00
64	03/09/03/17	10000.00
65	04/09/03/17	22400.00
66	14/16/03/17	2943.00
67	15/16/03/17	79822.00
68	16/16/03/17	22184.00
69	17/16/03/17	52655.00
70	18/16/03/17	15710.00
71	19/16/03/17	341875.00
72	20/16/03/17	255311.00
73	31/21/03/17	97344.00
74	28/22/03/17	249330.00
75	35/23/03/17	1171.00
76	37/24/03/17	16000.00
77	38/24/03/17	114000.00
78	39/24/03/17	3047.00
79	31/24/03/17	50624.00
80	41/25/03/17	31942.00
81	42/25/03/17	1200.00
82	43/25/03/17	2267.00
83	44/25/03/17	8118.00
84	45/25/03/17	3361.00
85	46/25/03/17	3015.00
86	32/25/03/17	151834.00
87	33/25/03/17	299006.00
88	34/25/03/17	291000.00
89	36/25/03/17	238000.00
90	37/25/03/17	150042.00
91	47/26/03/17	1800.00
योग		14225234.00

₹ 1.42 करोड़ के vouchers की प्रविस्टी शासनादेश के विरुद्ध रोकड़ वही मे न करना एवं जांच/मिलान हेतु सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत न करना । इस संबंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे अवगत कराया हैं कि समस्त vouchers की रोकड़ वही मे प्रविस्टी एवं उनका अवलोकन आगामी सम्प्रेक्षा मे सम्प्रेक्षा दल को करा दिया जाएगा ।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

STAN

प्रस्तर-1:- अग्रिम धनराशि रु. 23000/- का समायोजन न किया जाना।

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटैक्निक लोहाघाट, चम्पावत के लेखा अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अग्रिम में धनराशि का आहरण किया है जिसका विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	आहरण की तिथि	आहरण की धनराशि
1.	सोनू कुमार	23.01.2018	10,000/-
2.	सोनू कुमार	05.02.2018	10,000/-
3.	दिवेंद्र कुमार	14.02.2018	3,000/-
योग			**23,000/-**

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अग्रिम के कुल धनराशि रु. 23000/- का आहरण किया है जिसका लेखापरीक्षा अवधि तक समायोजन नहीं किया गया जब कि नियमानुसार अग्रिम के आहरण करने के एक माह के अंदर किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। सम्परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली का समायोजन कर दिया जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आहरण करने के एक माह के अंदर समायोजन किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- GIRLS HOSTEL के निर्माण हेतु राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि र 01 करोड़ से प्राप्त व्याज र 586387.00 को अनियमित रूप से बचत खाते मे रखना एवं राजस्व खाते-0049 मे जमा न करना ।

शासन के शासनादेश संख्या:- 875(1)/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनाक -30/04/2003 के पेरा -03 मे स्पष्ट प्रविधान हें कि योजना (प्लान) की कोई भी धनराशि बिना शासन की अनुमति के बचत खाते मे न रखि जाए तथा इस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि र 586387.00 को कई वर्षो तक सरकार के राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया था । इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा र 27826.00 के अर्जित व्याज की धनराशि को सरकार के राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया था ।
उक्त प्रकरण मे कॉलेज द्वारा योजना की धनराशि को न तो शासन से बचत खाते मे रखने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी थी, न ही उक्त धनराशि को रखने हेतु शासन से कोई अनुमति प्राप्त कर चालू/पीएलए खाते खुलवाने का प्रयास किया गया था ,न ही उक्त धनराशि से वर्ष-2007 से अर्जित व्याज को सरकार के राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने का कोई प्रयास किया गया । संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा' उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया कि उक्त धनराशि को निर्माण agency द्वारा अपने बचत खाते मे रखा गया हें,जिसे संप्रेक्षा तिथि तक सरकार के राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया हें ।
विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हें ,क्योकि विभाग द्वारा बचत खाते मे योजना की धनराशि को रखने के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था ।प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
51/2012-13	-	02	-
योग	-	02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
51/2012-13				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राजकीय पॉलीटैक्नीक,लोहाघाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

    (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

    (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम / पदनाम	दिनांक
1.	श्री एच॰वी॰शर्मा - कार्य॰प्रधानाचार्य	01-02-2012 से 04-11-2012 तक
2.	श्री राजीव सिंह - प्रधानाचार्य	05-11-2012 से 01-07-2015 तक
3.	श्री आर॰पी॰गुप्ता - प्रधानाचार्य	09-07-2015 से 06-11-2015 तक
4.	श्री गोविंद वल्लभ - प्रधानाचार्य	07-11-2015 से 31-08-2017 तक
5.	श्रीमति रचना सिंह -प्रधानाचार्य	31-08-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति राजकीय पॉलीटैक्नीक, लोहाघाट को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़- 248195 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र